(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरु किया गया; और

(ग) निर्माण-कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजपूताना राइफल्स के पास से "झांसी की रानी" के झंडे का गुम हो जाना

1192. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजपूताना राईफल्स की सुरक्षा में रखा गया झांसी की रानी का झंडा रहस्यमय ढंग से गुम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख) झांसी की रानी का झंडा जिसे 1857 में कब्जे में लिए जाने का दावा किया गया था, 5 राजपूताना राइफल्स के पास था। इस झंडे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे अक्तूबर, 1977 में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, दिल्ली छावनी में भेज दिया गया क्योंकि इस बटालियन को युद्धक्षेत्र में जाना था। 1980 में यूनिट द्वारा झंडा वापस लेने की मांग किए जाने पर वह नहीं मिल पाया।

1980 में यूनिट की एक जांच अदालत और 1982 में एक स्टाफ जांच अदालत बिठाई गई परन्तु वह झंडे का पता नहीं लगा सकी हालांकि इसमें कतिपय अफसरों द्वारा की गई चूकों का उल्लेख किया गया था। तद्नुसार, सेनाध्यक्ष द्वारा मामला बंद कर दिया गया। बाद में सरकार ने मामले की समीक्षा की और उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। ब्यूरो ने 1988 में मामला दर्ज किया और उसकी व्यापक जांच की। इंटरपोल तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, विशेषकर ब्रिटेन स्थित दूतावास के माध्यम से भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ की गई परन्तु झंडे के बारे में कोई प्रमाण या सुराग नहीं मिला। परिणामतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामला बंद कर दिया और आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत मामला बंद करने के लिए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत में रिपोर्ट दर्ज की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा झंडे का पता नहीं लगाया जा सका या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सका इसलिए 1991 में सरकार के पास मामले को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा गया था।

Unauthorised Water connections in Kanpur Cantonment Board

1193. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the lapses of Kanpur Cantonment Board in checking and preventing the menace of unauthorised water connections have been causing huge loss of revenue to the Board ;

(b) whether the Kanpur Cantonment Board has been neglecting to recover proper rates and taxes from the residents in order to increase the quantum of Grant-in-Aid from the Central Government ;

(c) whether unauthorised building constructions are also gaining support from a section of the employees of the Board ; and

(d) what immediate steps are to be taken for checking of such lapses ?